राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

वाहन चालकों के पद पर संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 एवं संकल्प संख्या–8025 दिनांक–21.05.2013 के आलोक में राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के कार्यालय में संविदा के आधार पर चालक के पद पर नियोजन की आवश्यकता है:–

क्रम सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग
1	चालक	05	03	01	01	00

अर्हत्ता एवं शर्तें निम्न प्रकार होगीः–

1. संविदा पर नियोजन एक वर्ष के लिए पूर्णरूपेण अस्थायी रूप से किया जाएगा। संविदा अवधि के समाप्ति के पूर्व उभयपक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

2. आवेदक का स्थायी नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा। एक वर्ष के उपरान्त सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

3. आवेदकों की उम्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि को 21 वर्ष से कम तथा 55 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. सेवानिवृत कर्मचारियों एवं बिहार राज्य के विभिन्न निगम/बोर्ड में कार्यरत छंटनीग्रस्त योग्यताधारी कर्मियों को कार्य का अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।

5. कार्य अवधि में किए गये कार्यों के परिश्रमिक का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित संविदा के दर के आधार पर किया जाएगा जो वर्तमान में रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह है।

6. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। सरकारी सेवक को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र देय होगा।

7. आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य बल की गणना कर चालकों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियोजन अहर्त्ता प्राप्त आवेदकों के वाहन चालन दक्षता की जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

9. संविदा के आधार पर चालक के पद पर नियुक्ति हेतु व्यवसायिक लाईसेंस का होना अनिवार्य है। वैसे आवेदक जो व्यवसायिक लाईसेंस धारण नहीं करेंगे अथवा विज्ञापन के अन्य अहर्ताओं को पूरा नहीं करेंगे, उनका नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

10. विज्ञापन में वर्णित अहर्ताओं के अतिरिक्त आवेदकों की वाहन परिचालन की क्षमता, स्थिरता एवं एकाग्रता संबंधी सभी बिन्दुओं पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध आवेदक का कोई अपील मान्य नहीं होगा।

11. नियोजन के पूर्व नियोक्ता एवं चयनित आवेदको के बीच एकारारनामा सम्पन्न की जाएगी।

12. नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएगें तथा सरकारी सेवकों को देय सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

13. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम प्रवेशिकोत्तीर्ण होगी।

14. आवेदक को हल्का वाहन (LMV) का व्यवसायिक अनुज्ञप्तिधारी होना एवं यातायात नियम का ज्ञान होना अनिवार्य है।

15. वाहन चलाने का लाईसेन्स कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।

16. आवेदक अपना आवेदन पूर्ण विवरण के साथ विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक से संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना–15 के पते पर भेज सकते है।

17. राजस्व पर्षद, कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि दिनांक– 11.08.2017 के अपराह्न 6.00 बजे तक है।

18. विज्ञापन में अंकित कोटि के उम्मीदवार यदि उपलब्ध नहीं होंगे तो राजस्व पर्षद के कार्यहित में अन्य कोटि के उम्मीदवारों को नियोजित किए जाने का अधिकार राजस्व पर्षद को सुरक्षित रहेगा।

19. संविदा के आधार पर चालक के पद पर नियुक्ति के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

20. विज्ञापन को राजस्व पर्षद के वेबसाईट **http:boardofrevenue.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

Rajesh K.
20/7/17

सचिव,
Sanjay
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।
21/07/2017

d:\sachin\vahan oj.docx

विहित प्रपत्र

यहां राजत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हाल का पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाएं।

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

3. जन्म तिथिः–
(प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

4. शैक्षणिक योग्यताः–
(प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

5. जातिः–
(आरक्षण कोटि के लिए जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

6. स्थायी पताः–
(इससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

7. वर्त्तमान पताः–
(इससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

8. चालक का वाहन अनुज्ञप्ति का विवरणः–
(अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

9. पूर्व की सेवा का विवरणः–
(संबंधित कागजात/प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः–
तिथिः–